न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2018 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— पृथ्वीसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जाति राजपूत साकिन परावा तहसील बीदासर जिला चूरू।

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

राजस्थान राज्य।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री विजय कुमार — अभिभाषक अपीलांट

श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 05.02.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 19.12.2017, जिसमें अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. JPR/3514/BL जो SDM Broach (Gujrat) द्वारा जारी एवं डीएम जयपुर में पंजीकृत है, के नवीनीकरण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. JPR/3514/BL जो SDM Broach (Gujrat) द्वारा जारी एवं डीएम जयपुर में पंजीकृत होकर दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत है । जिस पर 12 बोर एसबीबीएल गन सं. 2155 दर्ज है। अपीलांट ने अपने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को चूरू जिले में पंजीकरण कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 9.12.2016 को प्रस्तुत किया। इस पर अति.पुलिस उपायुक्त लाईसेंसिग एवं लीगल, आयुक्तालय, जयपुर से रिपोर्ट ली गई, जो जरिये पत्रांक 8436 दिनांक 27.12.2016 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु कोई आपत्ति नहीं की गयी । जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू से रिपोर्ट ली गई, जो जरिये पत्रांक 807 दिनांक 25.01.2017 को प्राप्त हुई, जिसमें कोई आपत्तिजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट, चूरु द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के निमित नोटिस दिनांक 20.2.17 जारी कर जवाब हेतु लिखा गया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.3.17

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को जवाब मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया । तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा अपीलांट के नाम सम्बोधित अपने अपीलाधीन आदेशात्मक पत्र दिनांक 19.12.2017 में अंकित किया है कि "अन्य राज्य एवं जिले के शस्त्र अनुज्ञा पत्र दर्ज होने के लिए वर्तमान तक अनुज्ञा पत्र वैध होना आवश्यक है, जबकि आपका अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2016 तक वैध था। इसलिए आपका आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।" इस आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि आवेदक अपीलांट द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र का जिले में पंजीयन एवं नवीनीकरण करने हेतु आवेदन पत्र निश्चित समयावधि में ही जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। यदि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेण्डिग रहा तो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा इस आधार पर नवीनीकरण प्रार्थना पत्र निरस्त करना कि आज की तिथि तक नवीनीकरण नहीं है, अपने आप में गलत निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र गुजरात से लिया था फिर नवीनीकरण वहीं हुआ, उसके बाद महारानी फार्म जयपुर में गनमैंन का कार्य करता था, अतःनिवास स्थान जयपुर में रखा, तब नवीनीकरण जयपुर में हुआ था। यह समस्त तथ्य अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष आ चुके थे। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्ट की गैर हाजरी में अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो निरस्त योग्य है । अपीलांट के खिलाफ किसी प्रकार का कोई फौजदारी या अन्य मुकदमा दर्ज नहीं है । अपीलांट अब स्थाई रूप से अपने गांव परावा जिला चूरू में निवास करता है। समस्त सरकारी दस्तावेज परावा ग्राम के हैं। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण दिनांक 31.12.16 तक जयपुर से हो रखा था। शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण दिनांक 9.12.16 को जिला मिजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। मातहत अदालत का निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोग श्री चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमावें।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्यरुप से कथन है कि अपीलांट ने अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र JPR/3514/BL जो SDM Broach (Gujrat) जो दिनांक 31.12.16 तक जयपुर मुख्यालय से पंजीकृत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

है, को अपने मूल निवास स्थान चूरू जिले में पंजीकरण एवम् एवं आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु निश्चित समयावधि से पूर्व दिनांक 9.12.2016 निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट के आवेदन पत्र पर मार्किंग 9.12.16 की हो रखी है, इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा निश्चित समयावधि में ही आवेदन कर दिया गया था। इसके अलावा अपीलांट ग्राम परावा तहसील बीदासर जिला चूरू का मूल निवासी होने से संबंधित प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अपीलांट चूरू जिले का स्थाई निवासी है। वह अपने काम-धन्धे के कारण जयपुर में निवास करता था। अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नियमानुसार दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, एवम् आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष अन्दर मियाद निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु इस संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर किया जाना प्रतीत नहीं होता है। विद्वान लोक अभियोजक ने भी इस संबंध में कोई कथन व्यक्त नहीं किया कि अपीलांट किस प्रकार से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब का दोषी रहा है, जबकि आवेदन पत्र दिनांक 9.12.16 को ही प्रस्तुत किया जा चुका था। इस विलम्बता के लिये अपीलांट को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा पुलिस रिपोर्ट में भी अपीलांट के विरुध्द कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है तथा पुलिस आुयक्त, जयपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.12.16 में अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.16 तक नवीनीकृत बताया है तथा आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने में अनापत्ति बताई है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सम्बोधित जो पत्र दिनांक 19.12.2017 को जारी किया है, वह स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है।

7. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा शस्त्र नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

8. तदनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तरतीब-तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर